न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट संख्या-01, गाजियाबाद।

विविध वाद संख्या-377/2021
मु०अ०सं०-105/2021
धर्मेन्द्र बनाम दानिश।
थाना- मसूरी, गाजियाबाद

दिनांक-03-12-2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मुकदमा अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा वादी मुकदमा धर्मेन्द्र की ओर से अपराध संख्या-105/2021, धारा 323,504,506,332,353 भा०द०सं० के अन्तर्गत दानिश एवं जियाउल हक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत अंतिम रिपोर्ट संख्या-01, दिनांकित-15-09-2022 न्यायालय में इस आधार पर प्रेषित की गयी है कि वादी पक्ष का नामजद के साथ आपसी सुलहनामा हो गया है। वादी अपने मामले को न्यायालय मे चलाना नहीं चाहता है और न ही कार्यवाही चाहता है। अतः विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा को नोटिस भेजे गये थे, परंतु नोटिस उपरांत भी वादी मुकदमा न्यायायलय में उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि वह अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं देना चाहता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट संख्या- 01, दिनांकित-15-09-2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(नितिशा सिंह),
ए०सी०जे०एम/ए०सी०जे०(प्रवर खण्ड)
कोर्ट संख्या-01, गाजियाबाद।